भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1817

08 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

धान की खरीद में भ्रष्टाचार

1817. श्री सौमित्र खान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य में धान की खरीद में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अनियमितताओं के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सहित भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त शिकायतें निम्नानुसार हैं:

वर्ष	देशभर में शिकायतों की संख्या (पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर)	पश्चिम बंगाल की शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतें
2018-19	8	0	8
2019-20	3	0	3
2020-21	6	0	6
2021-22 (अक्तूबर तक)	7	0	7

(ख): खरीद केन्द्रों के प्रचालन में अनियमितता, जाली खरीद की अनियमितता, अधिक दर पर धान का परिवहन और धान की खरीद से संबंधित निजी सेवा प्रदाता द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान में विलंब प्रमुख कारण हैं।

.....2/-

(ग): धान की खरीद से संबंधित शिकायतों की जांच की जाती है और इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, खरीद प्रचालनों को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल/उपाय लिए गए हैं-

i) पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लागू किया गया है। इससे इस प्रणाली में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, वास्तविक समय की निगरानी की जाती है और उठाईगिरी में कमी आई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण फर्जी व नकली किसानों से खरीद को समाप्त करता है, खाद्यान्नों को अन्यत्र भेजे जाने से रोकता है राज्यों में किसानों के आधार नंबर से जुड़े होने के कारण किसानों के बैंक खाते में सीधा भुगतान किए जाने से भुगतान का डुप्लीकेशन नहीं होता है।

ii) भारतीय खाद्य निगम और अधिकतर राज्य सरकारों ने स्वयं की ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है जिसमें उचित पंजीकरण के माध्यम से पारदर्शिता आती है तथा किसानों को आसानी होती है और वास्तविक खरीद की मॉनीटरिंग की जाती है। ऑनलाइन खरीद प्रणाली ने बिचौलियों से खरीद को अधिकांश रूप से समाप्त कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेहतर रूप से लक्षित किया जा सकता है।

(iii) राज्य एजेंसियों को भुगतान करते समय सार्वजनिक वित्तीय मॉड्यूल प्रणाली (पीएफएमएस) के व्यय अग्रिम अंतरण मॉड्यूल (ईएटी) का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाता है जैसा कि वित्तीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए पीएफएमएस के साथ अपनी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को एकीकृत करते हुए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिदेशित किया गया है।

(iv) विवरण पत्रों, बैनरों, साइनबोर्डों, रेडियो, टीवी तथा प्रिंट एवं इलेट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(v) किसानों को गुणवत्ता विनिर्दिष्टों और खरीद प्रणाली आदि के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि उन्हें विनिर्दिष्टों के अनुरूप अपना उत्पाद लाने के लिए सुविधा प्रदान की जा सके।

(vi) उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण तथा परिवहन आदि जैसे अन्य संभार तंत्र/बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा के लिए प्रमुख स्थानों पर मौजूदा मंडियों और डिपुओं/गोदामों के अलावा बड़ी संख्या में अस्थाई खरीद केंद्र भी खोले जाते हैं।

*****